वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(33)/2008-PD

दिनांक/Dated: 19.03.2020

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. **Sl. No.**	**कार्यालय ज्ञापन सं/ .** **Office Memorandum No.**	**विषय/** **Subject**
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं० 31011/12/2015–स्था. (क-IV) दिनांक 28.02.2020	उत्तर-पूर्व के राज्यों, जम्मू और कश्मीर के लददाख क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सेवारत केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को एलटीसी सुविधाएं - सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन-स्पष्टीकरण के संबंध में।
	Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 31011/12/2015–Estt.(A-IV) dated 28.02.2020	LTC facilities to the Civilian employees of the Central Government serving in States of the North-Eastern Region, Ladakh region of State of Jammu & Kashmir and in Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Group of Islands – Implementation of recommendations of 7th CPC – clarification reg.

भवदीय/Yours faithfully

19.03.2020

संतोष कुमार/Santosh Kumar)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above
प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

सं.31011/12/2015-स्था.(क-IV)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 28 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सेवारत केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को एलटीसी सुविधाएं- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन-स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24.04.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 के अनुसार, उत्तर-पूर्व क्षेत्र, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में तैनात केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी जिन्होंने अपने पुराने मुख्यालय अथवा निवास के किसी अन्य चयनित स्थान पर अपने परिवार को रखा हुआ है, को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान दो अतिरिक्त अवसरों पर "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" की अनुमति दी जाएगी ताकि सरकारी कर्मचारियों और/अथवा उनके परिवारों (केवल पत्नी और आश्रित बच्चों तक ही सीमित) को किसी आपातकाल की स्थिति में या तो गृह नगर अथवा तैनाती के स्थान पर यात्रा करने में समर्थ बनाया जा सके।

2. इस संबंध में इस विभाग को इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" सरकारी सेवक को केवल तैनाती के स्थान से गृह नगर की यात्रा करने के लिए ही उपलब्ध है <u>अथवा</u> क्या सरकारी सेवक इस सेवा का लाभ उनकी इन क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण की अवधि के लिए उनके द्वारा घोषित किए गए परिवार के निवास के चयनित स्थान पर यात्रा के लिए भी उठा सकते हैं।

3. इस मामले पर इस विभाग में व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" का लाभ उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी एक स्थान नामतः गृह नगर **अथवा** इन क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण की अवधि के लिए उनके द्वारा घोषित किए गए परिवार के निवास के किसी चयनित स्थान पर यात्रा के लिए उठाया जा सकता है।

सूर्य ना. झा
28.2.20
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

क्रमशः....2/-

पूर्व पृष्ठ से:

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।

No. 31011/12/2015-Estt.(A-IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment A-IV Desk
***

North Block, New Delhi-110 001
Dated: February 28, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: LTC facilities to the Civilian employees of the Central Government serving in States of the North-Eastern Region, Ladakh region of State of Jammu & Kashmir and in Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Group of Islands – Implementation of recommendations of 7th CPC - clarification reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even no. dated 24.04.2018 on the subject noted above and to say that as per para 5 of the aforesaid O.M., civilian Central Government servants posted in North-Eastern Region, Union Territory of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep groups of Islands, who leave their family behind at the old headquarters or another selected place of residence shall be allowed "Emergency Passage Concession" on two additional occasions during their entire service career to enable the Government employees and/or their families [*restricted only to spouse and dependent children*] to travel either to the Home Town or the station of posting in an emergency.

2. In this regard, this Department is in receipt of references seeking clarification as to whether the facility of "Emergency Passage Concession" is available to the Government servant for travel from the station of posting to Home Town only or whether the Government servants can avail the facility to travel to the selected place of residence of family declared by them for the duration of their posting /transfer to these regions.

3. The matter has been considered in this Department in consultation with Department of Expenditure. It is clarified that "Emergency Passage Concession" can be availed by Government employees posted in North-East Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Union Territory of Ladakh to visit any one of the destinations, i.e. Home Town **or** any selected place of residence of the family declared by them for the duration of their posting/transfer to these regions.

28.2.20
(Surya Narayan Jha)
Under Secretary to the Govt. of India

To,

The Secretaries
All Ministries/ Departments of the Government of India.
(As per the standard list)

contd...2/-

From pre-page:

Copy to:

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
5. Parliament Library, New Delhi.
6. All Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.
8. All Attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
9. Hindi Section for Hindi version.